अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Govt. of India)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

सत्यमेव जयते

Phone : 011-26131577 - 78, 80
011-29581000
Website : www.aicte-india.org

Prof. Dileep N. Malkhede

Advisor-I

F.No. AICTE/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18

Date: 06.09.2018

To

All DTEs and Secretaries of TE of all the states

Subject: – Gazette Notification in respect of NPTEL MOOCs Advanced Courses to be considered for faculty promotions under CAS. -Reg.

Sir,

NPTEL and AICTE have signed a MOU whereby advanced certification courses of NPTEL are recognized as Faculty Development Programme (FDP) by AICTE. Every semester the list of courses eligible for FDP shall be made available by NPTEL's Academic Council and published on NPTEL's website (http://nptel.ac.in/fdp.html). Faculty members of institutions, appointed as per AICTE Regulations for full time teaching and other academic activities, can be benefitted from these FDPs.

A copy of the notification published, in this regard, in the official Gazette of India dated 16.08.2018, is attached for your kind perusal and information.

Encl.: As cited above

Yours sincerely,

(Dileep N Malkhede)
Advisor-I (RIFD)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940
No. 310] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

फा. सं. 34–36/आरआईएफडी/मूक्स द्वारा एफडीपी/2017–18.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10.(1).(i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (i) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :–

संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता एवं आरंभ :	
1	इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {कैरियर उन्नति योजना (सीएएस)} (डिग्री/डिप्लोमा) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
2	ये विनियम सभी अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं सहित विश्वविद्यालयों एवं अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों एवं अन्य क्षेत्रों पर लागू होंगे जैसाकि परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है।
3	ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं} विनियम, 2010 'सामान्य' शीर्ष के अन्तर्गत खण्ड (xviii) के प्रावधान के अनुसार विभिन्न कैडरों में उच्च ग्रेड वेतन में सभी उन्नति में दो अभातशिप अनुमोदित पुनश्चर्या कार्यक्रमों, जो कि दो सप्ताह से कम की अवधि के न हों तथा दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों (प्रत्येक एक–एक सप्ताह के) को पूरा करने के अध्यधीन प्रभावी होगी।

आगे, यह भी कि समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2016 के "विविध मुद्दे" शीर्ष के अन्तर्गत स्पष्टीकरण संख्या 59 के अनुसार अभातशिप/यूजीसी/मा.सं.विका.मंत्रालय/डीएसटी/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दो कार्यक्रमों, (प्रत्येक एक–एक सप्ताह का) को भी टीईक्यूआईपी कार्यक्रमों का विकल्प माना जाएगा।

अब, आगे यह भी अधिसूचित किया जाता है कि वे संकाय सदस्य जो एनपीटीईएल (मूक्स रीति के माध्यम से) द्वारा प्रदान किए जा रहे उच्च (एडवांस) पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तथा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं, उन पर भी कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत संकाय उन्नति हेतु विचार किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी संवर्धन अध्ययन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (नैपटैल) विभिन्न अवधि के प्राथमिक (बेसिक) और उच्च (एडवांस) स्तरीय पाठ्यक्रमों को ऑनलाईन उपलब्ध कराता है। संकाय सदस्यों द्वारा इन उच्च (एडवांस) पाठ्यक्रमों का आरंभ करके सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् ही नैपटैल एवं अभातशिप द्वारा संयुक्त प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

जबकि नैपटैल का मूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जैसा कि नियमित एफडीपी होता है, उनकी समकक्षता नियमित एफडीपी के अनुरूप निम्न रूप से मानी जा सकती है :–

क्रम संख्या	नैपटैल पाठ्यक्रमों के सप्ताहों की संख्या	प्रत्येक सप्ताह व्याख्यान	सम्मिलित होने के कुल घंटे	नैपटैल पाठ्यक्रमों की नियमित एफडीपी से समकक्षता
1.	4	3	12	एक सप्ताह के लिए 1/2 एफडीपी
2.	8	3	24	एक सप्ताह के लिए पूरा एफडीपी
3.	12	3	36	1 1/2 एफडीपी

(i) नैपटैल पाठ्यक्रमों में प्रतिभागिता करने के इच्छुक अभातशिप अनुमोदित डिग्री/डिप्लोमा संस्थानों के संकाय नैपटैल पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करें तथा पाठ्यक्रमों में हिस्सा लें।

(ii) नैपटैल प्रत्येक सैमेस्टर के लिए उच्च (एडवांस) स्तर के पाठ्यक्रम को देने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) नैपटैल मूक्स (व्यापक मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम) एक नियमित असाइनमेंट होगा तथा इसके अंत में व्यक्तिगत परीक्षा होगी। नैपटैल द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा संयुक्त रूप से (नैपटैल एवं अभातशिप) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र केवल उन प्रतिभागियों को जारी किया जाएगा जिन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया हो तथा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो।

(iv) संकाय सदस्य जो सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, सीएएस के तहत पदोन्नति के लिए ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य सचिव, अभातशिप

[विज्ञापन–III/4/असा./185/18]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2018

F. No. 34-36/RIFD/FDP through MOOCs/2017-18.—In exercise of powers conferred under sub-section (i) of Section 23 read with Section 10.(1).(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following Regulations: -

Short Title Application and Commencement:	
1	These Regulations may be called the "**All India Council for Technical Education Regulations, 2018 (Career Advancement Scheme) (Degree/Diploma).**"
2	They shall apply to all technical institutions approved by the AICTE and Universities including institutions deemed to be University imparting technical education and such other courses/programmes and areas as notified by the AICTE from time to time.
3	They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

As per provisions vide **clause (xviii)** under head '**General**' laid down in **'All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree) Regulations, 2010'**, all advancements to higher grade pay in various cadres, will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks' duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

Further, as per **clarification No.59** under the caption 'Miscellaneous issues' laid down vide notification dated 4th January, 2016, two programs of one week each AICTE/UGC/MHRD/DST/State Govt. sponsored programs may also be considered as an alternative to TEQIP programs.

Now, it is further notified that those faculty members who successfully complete advanced courses offered by NPTEL (through MOOCs mode) and obtain the certificate, *shall also be considered for faculty promotions under CAS.*

National Programme on Technology Enhanced Learning (NPTEL) offers online basic and advanced level courses of different durations. Faculty members undertaking and completing such advanced courses successfully are only issued joint certification by NPTEL and AICTE.

Since MOOCs (Massive Open Online Courses) of NPTEL are not full time training programs like regular FDPs, their equivalence to regular FDPs, shall be considered as under:

Sl. No.	**No. of weeks of NPTEL Courses**	**Lectures per week**	**Total No. of Hrs. of engagement**	**Equivalence of NPTEL courses with regular FDP**
1.	4	3	12	½ FDP of one week
2.	8	3	24	Full FDP of one week
3.	12	3	36	1 ½ FDP

(i) Faculty from AICTE approved Degree/Diploma institutions who wish to participate in the NPTEL courses, will register themselves on NPTEL portal and undergo the courses.

(ii) NPTEL is responsible for offering advanced level courses for every semester.

(iii) NPTEL MOOCs (Massive Open Online Courses) will have regular assignments and in-person examination at the end. A test will be conducted by NPTEL and jointly (NPTEL and AICTE) signed certificates will be issued to only those participants who attend the programme and qualify tests.

(iv) Faculty members who successfully complete the course, would be able to produce such certificates for promotions under CAS.

Prof. A. P. MITTAL, Member Secy., AICTE

[ADVT.-III/4/Exty./185/18]